

समाहरणालय, शेखपुरा।

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण संख्या-02/2018-19

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था हेतु माननीय स0वि0प0 श्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद द्वारा अनुशंसा की गई है। तदालोक में 8 विभिन्न स्थलों पर फोर आर्म्स सोलर लाईट लगाने हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनी/फर्म एवं ख्याति प्राप्त एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है।

आपूर्ति सह अधिष्ठापन हेतु निर्माता कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 07/03/2019 को 03:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, शेखपुरा में जमा कर सकते हैं उप विकास आयुक्त, शेखपुरा की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष उक्त तिथि को ही अपराह्न 04:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए www.sheikhpara.nic.in पर देखा जा सकता है।

तकनीकी निविदा की शर्तें-

1. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 टेस्ट रिपोर्ट देना है।
2. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 को चैनल पार्टनर होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
3. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निर्माता कम्पनी को सोलर संयंत्र के अधिष्ठापन का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. निर्माता कम्पनी को विगत तीन वर्षों का सालाना टर्न ओवर एक करोड़ रुपये का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता के पास कम से कम तीन वर्षों का अंकेक्षित बैलेंस शीट होनी चाहिए।
7. निर्माता कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
8. निर्माता कम्पनी को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा। साथ ही वैसे निर्माता कम्पनी/फर्म व एजेंसी जिनके विरुद्ध काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा की गयी है, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
10. तकनीकी निविदा में 10000.00(दस हजार) रु0 का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्रॉफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, शेखपुरा के पदनाम से देय एवं शेखपुरा में भुगतये हो संलग्न करना होगा।
11. निर्माता कम्पनी को एम0एस0ए0 एवं आई0एस0ओ 14001-2015 होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्माता कम्पनी को आई0एस0ओ 9001-2015 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निर्माता कम्पनी को IEC61215 Editon II/BIS 14286 From an NABL or IECQ accredited Laboratory का टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा।
14. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत बिक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते हैं।

वित्तीय निविदा की शर्तें-

1. वित्तीय निविदा में क्रियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति ईकाई दर आपूर्ति/अधिष्ठापन कर सहित देना होगा।

अन्य शर्तें-

1. फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईटिंग पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट 25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि के नियमित रख-रखाव व जांच का पूर्ण दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।

2. निविदादाता को विगत छःमाह के अन्दर का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।
3. आपूर्ति किये जानेवाले सिस्टम की फिटिंग/दुलाई आदि को अलग से कोई खर्च नहीं दी जायेगी।
4. किसी भी तरह का विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र शेखपुरा नगरीय क्षेत्र होगा।
5. तकनीकी निविदा के जांचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात् ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
6. निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
7. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा, ससमय अधिष्ठापन/जांच गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
8. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानों पर भी सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समय पर करना होगा।
9. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90% राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10% राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि सामाप्ति पर कार्य संतोषजनक प्राये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा। वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि वर्षवार विमुक्त की जायेगी।
10. सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन में विलम्ब की स्थिति 12.5% प्रतिमाह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कटौती की जायेगी।
11. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, शेखपुरा/संबंधित तकनीकी पदाधिकारी के स्थलीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।
12. निविदा को निरस्त करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

फोर आर्म्स सोलर लाईट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्न प्रकार से होना चाहिए—

1. 20 watt Integrated solar plate with high efficiency (warranty-25 years)
2. 250wh Inbuilt lithium iron phosphate battery pack with smart phosphate battery pack with smart bms @ C/2. (warranty-5 years)
3. Inbuilt driver with ISD technology with efficiency >85%
4. LED watt is 20w in motion detection, in normal watt is 12w
5. ल्यूमिनेरियस हाउसिंग— Weather proof with high illuminative acrylic & reflector
6. Lumens > 2000 Lumens.
7. Cable— 2.5sq mm as required
8. पोल— Galvanized MS duly primed (2 coats) 60mm OD in upper portion 75 OD in lower portion and length of the pole above ground shall not be less than 5 meters Length of the pole below ground shall be minimum 1.5 meters.
9. Inbuilt battery with motion sensor.
10. मॉड्यूल माउण्टिंग स्ट्रक्चर— Galvanized MS configured to Mount Modules.
11. हार्डवेयर एसोसिएटिड— As per the configuration made
12. ड्यूटी साईकिल— Dusk to dawn.
13. ऑटोनोमी— 03 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge.

उक्त सामग्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मानक एवं मापदंड का होना अनिवार्य है।

उप विकास आयुक्त,
शेखपुरा।